न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 74/24 GCMS NO 2024/170

मंदिर मूर्ति श्री गोपाल जी विराजमान भैरू दरवाजा शहर सवाई माधोपुर जरिये नेक्स्ट फ्रेंड:–

1. लक्ष्मीकांत पुत्र श्री नानकराम जाति ब्राहम्ण निवासी खेरदा बजरिया सवाई माधोपुर
2. राहुल पुत्र सायाजी राव जाति मराठा निवासी शहर सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. श्योजी पुत्र हजारी
2. शंकर पुत्र हजारी
3. धापू पुत्री हजारी
4. रामजीलाल पुत्र बजरंगलाल
5. छोटया उर्फ गजानन्द पुत्र बजरंगलाल
6. काली पुत्री बजरंगलाल पत्नि कमलेश
7. रामकिशन पुत्र कल्याण
8. मोहनलाल पुत्र गंगाधर
9. रामकन्या पत्नि गोकुल
10. सुरेश पुत्र गोकुल
11. प्रमोद उर्फ पुरूषोतम पुत्र गोकुल सभी जातियान माली निवासीयान आलनपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर
12. सीमा पुत्री बजरंगलाल पत्नि बाबूलाल माली निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर
13. चकधर शर्मा पुत्र श्री जटाशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी भैरू दरवाजा मंदिर गोपाल जी के सामने शहर सवाई माधोपुर
14. तहसीलदार सवाई माधोपुर लैण्ड होल्डर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 21/2021 निर्णय दिनांक 23.12.24 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री अभय गुप्ता

अभिभाषक रैस्पो0 श्री हरिमोहन जाट,श्री पारसमल जैन

दिनांक 12.02.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 23.12.24 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि शहर सवाई माधोपुर मे स्थित मंदिर मूर्ति गोपाल जी भैरू दरवाजा पर स्थित है। [illegible] पूजन पाठ आदि करने जाते है तथा मंदिर मे दर्शन पूजन सेवा पाठ पूजा आदि [illegible] एवं आस्था रखते है तथा मंदिर मे दान दक्षिणा तथा चढावा आदि देते [illegible] की आस्था का एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:36:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

केन्द्र है। जिस मंदिर मे प्रार्थीगण का हित निहित है। उक्त मंदिर का पुजारी विपक्षी संख्या 11 है ग्राम आलनपुर मे स्थित वर्तमान आराजी ख0न0 1318 रकबा 0.33 है0 , 1339 रकबा 0.01 है0, 1340 रकबा 0.14 है0, 1342 रकबा 0.47 है0 तथा ख0न0 1360 रकबा 0.14 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.09 है0 स्थित है। जिनमे वर्तमान ख0न0 1318 के पूर्व ख0न0 1224 रकबा 2 बिस्वा, 1225 रकबा 15 बिस्वा,1246 रकबा 2 बिस्वा, 1245 मिन रकबा 18 बिस्वा, है तथा वर्तमान ख0न0 1339 के पूर्व ख0न0 1245 मिन है तथा वर्तमान ख0न0 1340 के पूर्व ख0न0 1245 मिन है। वर्तमान ख0न0 1342 के पूर्व ख0न0 1226 रकबा 4 बिस्वा , ख0न0 1234 रकबा 3 बिस्वा, ख0न0 1235 रकबा 16 बिस्वा, 1236 रकबा 6 बिस्वा, 1237 रकबा 9 बिस्वा, वर्तमान ख0न0 1360 के पूर्व ख0न0 1479 रकबा 9 बिस्वा, 1480 रकबा 2 बिस्वा थे। इस तरह पूर्व ख0न0 1224 रकबा 2 बिस्वा, 1225 रकबा 15 बिस्वा, 1226 रकबा 4 बिस्वा, 1234 रकबा 3 बिस्वा, 1235 रकबा 16 बिस्वा, 1236 रकबा 6 बिस्वा, 1237 रकबा 9 बिस्वा, 1245 रकबा 18 बिस्वा, 1246 रकबा 2 बिस्वा, 1479 रकबा 9 बिस्वा, 1480 रकबा 2 बिस्वा ठाकुरजी गोपाल जी की खातेदारी की आराजीयात है। जिसके संबंध मे राजस्व रिकार्ड खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2004 लगायत 2023 में इन्द्राज हो रहे है अर्थात उक्त आराजीयात प्रार्थी ठाकुरजी गोपालजी बअहतमाम पुजारी घांसीलाल वल्द कल्याणवक्श की खातेदारी की आराजीयात है। उक्त वर्णित पूर्व आराजीयात ख0न0 1224 रकबा 2 बिस्वा, 1225 रकबा 15 बिस्वा, 1226 रकबा 4 बिस्वा, 1234 रकबा 3 बिस्वा, 1235 रकबा 16 बिस्वा, 1236 रकबा 6 बिस्वा, 1237 रकबा 9 बिस्वा, 1245 रकबा 18 बिस्वा, 1246 रकबा 2 बिस्वा, 1479 रकबा 9 बिस्वा, 1480 रकबा 2 बिस्वा वाके ग्राम आलनपुर जो कि ठाकुरजी गोपालजी की आराजीयात थी को कतई गलत ढंग से पून्या पुत्र किशना के नाम दर्ज कर दी गई जबकि ठाकुरजी अर्थात मूर्ति शास्वत नाबालिंग है अर्थात परपियूचल माईनर है जिसकी खातेदारी आराजीयात को किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम खातेदारी दर्ज नही की जा सकती है। और न ही भूमि कि किसी आराजीयात को किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी रूप मे हस्तान्तरित किया जा सकता है। किन्तु फिर भी विधि विरूद्व तरीके से राजस्व अधिकारियो से सांठ गाठ कर पून्या पुत्र किशना ने उक्त आराजीयात को अपने नाम दर्ज करवा लिया गया। जबकि विधिक रूप से ऐसा किया जाना गलत है। इस कारण ऐसे गलत किये गये इन्द्राजात को राजस्व रिकार्ड से पुनः प्रार्थी मंदिर के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। पून्या पुत्र किशना के कोई पुत्र संतान नही थी केवल मात्र तीन पुत्रियां थी किन्तु पून्या पुत्र किशना के नाम गलत ढंग से लगी उक्त आराजीयात को हजारी पुत्र कान्या द्वारा स्वयं की खातेदारी मे दर्ज करवा लिया। जिस हजारी का भी स्वर्गवास हो चुका है। हजारी के पुत्र शंकर,श्योजी एवं हरि तथा एक पुत्री धापू है जो विपक्षी संख्या 1 ता 4 है। उक्त ढंग से हजारी के नाम लगी हुई उक्त आराजीयात को हजारी के पुत्रो एवं पुत्री की खातेदारी दर्ज हो गई। जिसमे से भी हजारी के पुत्र हरिएवं पुत्री धापू द्वारा उक्त आराजीयात के संबंध मे शंकर एवं श्योजी के पक्ष मे हक त्याग कर दिया गया। उक्त आराजीयात पर वर्तमान मे कब्जा विपक्षी संख्या 1 व 2 तथा विपक्षी संख्या 5 ता 10 ने कतई गलत ढंग से प्रार्थी मंदिर की आराजीयात [illegible] है तथा इनके द्वारा गलत इन्द्राज एवं कब्जे के आधार पर भूमाफिया तथा [illegible] किया जा रहा है। मंदिर की आराजीयात को नुकसान पहूँचाया जा रहा है। [illegible] आरजीयात के संबंध मे उन्हे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:36:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

ऐसा करने का कोई अधिकारी नही है और ना ही वे ऐसा कर सकते है। मंदिर के पुजारी विपक्षी संख्या 11 द्वारा उक्त आराजीयात के सबंध मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 10 के विरूद्व कोई भी कार्यवाही इस पर रोक लगाने के संबंध मे तथा मंदिर के हितो की रक्षा के संबंध मे तथा वापस मंदिर के नाम लगाने के संबंध मे नही की जा रही है। और न ही न्यायालय से कोई रोक लगवाई जा रही है। जिससे यह स्पष्ट है कि मंदिर का पुजारी विपक्षी संख्या 11 इन लोगो से मिला हुआ है। मंदिर का नुकसान पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। जबकि उसे इस संबंध मे कार्यवाही कर रोक लगवानी चाहिए थी जो उसके द्वारा नही किया जा रहा है। इस कारण प्रार्थीगण जो कि मंदिर के संबंध मे अपना हित रखते है जिससे कि मंदिर के हितो की रक्षा हो सके। मंदिर के हितो की रक्षा के लिए उसमे हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति मंदिर की और से कार्यवाही कर सकता है। प्रार्थीगण का मंदिर के हितो के विपरीत कोई भी हित नही है। अप्रार्थीगण उक्त आराजीयात पर प्रापर्टी डीलरो से मिलकर प्लाट कांटने कर निर्माण कर रहे है। अर्थात मंदिर की उक्त आराजीयात को कतई गलत ढंग से बेस्ट डेमेज एवं एलीनेट कर रहे है। जिसका उनको कोई अधिकार नही है। इस कारण वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। उक्त परिस्थितियो मे प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि उक्त आराजीयात को जो कि पूर्व मे मंदिर की खातेदारी आराजीयात रही है वापस विपक्षीगण के नाम से हटाकर मंदिर के नाम दर्ज करावे अर्थात इस आशय की उदघोषणा कर इन्द्राज दुरूस्ती कर वापिस मंदिर के नाम दर्ज किया जाकर विपक्षी संख्या 1 ता 10 को बेदखल कर उनको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि आराजीयात पर मंदिर को कब्जा सुपुर्द करने के पश्चात मंदिर की भूमि पर किसी भी रूप मे किसी अन्य व्यक्ति को रहन विक्रय अथवा किसी भी रूप मे हस्तान्तरित नही करे। रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखे। और ना ही किसी तरह का कोई निर्माण करे तथा प्रार्थी मंदिर को कब्जा सुपुर्द करने तक विपक्षी संख्या 1 ता 10 से दो लाख रूपये प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रार्थी मंदिर को दिलाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो० को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से यह तथ्य भॅलि भॉति साबित है कि विवादित आराजीयात पूर्व मे मंदिर गोपाल जी की रही है जिस तथ्य को अप्रार्थीगण द्वारा इंकार नही किया गया तथा इसके संबंध मे पर्याप्त दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे विवादित आराजीयात मंदिर मूर्ति गोपालजी की है तथा मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जिसकी भूमि को किसी भी रूप मे किसी भी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जा सकती है। जिसके [illegible] माननीय उच्च न्यायालय तथा राजस्व मंडल द्वारा स्पष्ट रूप से सिद्वान्त प्रतिपादित [illegible] समय समय पर राज्य सरकार द्वारा भी सर्कुलर जारी किये जाते रहे है। [illegible] आराजीयात यदि किसी अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:36:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

के नाम लग गई है तो उसे पुनः मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज किया जावे। इन समस्त तथ्यो पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर किये बिना ही बिना ध्याम दिये ही मात्र यह अंकित करते हुए कि विवादित आराजीयात विपक्षी संख्या 1 एवं 3 की खातेदारी मे है प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे यह अंकित किया है कि अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया जिससे स्पष्ट होता हो कि अप्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त हो फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कतई गलत ढंग से खारिज किया गया है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश मे स्पष्ट माना है कि उक्त भूमि साबिक राजस्व रिकार्ड मे है तो साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किया जावेगा जिसके लिए प्रार्थी द्वारा दावा पेश कर रखा है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार यह तथ्य पूर्ण रूप से साबित है कि विवादित आरजीयात मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज रही है तो ऐसी स्थिति मे अधिनस्थ न्यायालय को विवादित आराजीयात के सबंध मे मंदिर मूर्ति जो कि शास्वत नाबालिग है के हितो की रक्षा के लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए था। यह भी उल्लेखनीय है कि एक शास्वत नाबालिंग के संबंध मे स्वयं न्यायालय को उसके हितो की रक्षा के लिए हितो को ध्यान मे रखते हुए कार्य करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करना चाहिए था। जो नही करके अधिनस्थ न्यायालय ने गलती की है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 एवं 3 की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज करते हुए स्पष्ट उल्लेख किया था कि वाद को जरिये नेक्स्ट फ्रेण्ड विधिक प्रावधानो के प्रस्तुत किया गया है जिसे न्यायालय की अनुमति दिये जाने के पश्चात ही ग्रहण किया गया है जो पूर्ण रूप से विधिक है उक्त वाद चलने योग्य है। यह भी उल्लेख किया है कि रेफरेन्स की कार्यवाही फिसीकल होती है जिससे अधिकारो का अंतिम विनिश्चिय नही होता है इसके आधार पर किसी भी वाद को वर्जित नही किया जा सकता है। उक्त वाद जरिये नेक्स्ट फ्रेंड मंदिर के हितो की रक्षार्थ प्रस्तुत किया गया है। ऐसी परिस्थिति मे जब यह स्पष्ट रूप से साबित है कि वादग्रस्त आराजीयात के संबंध मे वाद चलने योग्य है तो मंदिर मूर्ति के हितो की रक्षा को देखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रिकार्ड तथा मौके की स्थिति यथावत कायम रखना न्याय हित मे आवश्यक था। ऐसा नही किये जाने की स्थिति मे मंदिर मूर्ति की आराजीयात को विपक्षीगण प्रोपर्टी डीलरो से मिलकर खुर्द बुर्द कर देगे जिससे मंदिर मूर्ति को असहनीय हानि होगी। इन बिन्दुओ को नजर अन्दाज कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो निरस्त योग्य है। इस प्रकार अपीलाट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस मे तर्क दिया कि विवादित आराजीयात उनकी खातेदारी की आराजीयात है। पून्या की मृत्यु के बाद पून्या की पत्नि नानगी ने रजिस्टर्ड वसीयत से हजारी के नाम की गई है। विवादित आराजीयात के संबंध मे तहसीलदार द्वारा रेफरेंन्स प्रस्तुत किया गया था जो निरस्त हो चुका है। जिसके बाबत अपीलांट द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई है। रेस्पो0 हजारी के वारिसान होने के कारण विवादित आराजीयात उनको ... मे प्राप्त हुई है। जो उक्त आराजीयात पर बतौर खातेदार काश्तकार ... आराजीयात के खातेदार काश्तकार नही है उनके द्वारा बिना ... केवल मात्र नेक्स्ट फ्रेंड बनकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:36:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

गलत आधारो पर दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है। विवादित आराजीयात रेस्पो0 की वर्तमान खातेदारी की भूमि है। पून्या के कोई संतान नही थी एवं पून्या के निधन के पश्चात पून्या की पत्नि नानगी देवी ने जरिये रजिस्टर्ड वसीयत पून्या की समस्त आराजीयात हजारी पुत्र कान्या के नाम कर दी थी। हजारी की मृत्यु के पश्चात भूमि रेस्पो0 के नाम दर्ज हुई है। विवादित भूमि की वर्तमान मे 90 बी हो चुकी है। विवादित आराजीयात मे अपीलांट का कोई हित निहित नही है। विवादित आराजीयात पर रेस्पो0आज भी बतौर खातेदार काबिज काश्त है। अपीलांट द्वारा भूमि पर कब्जा होने का कोई दस्तावेज पेश नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड की जॉच करने के उपरान्त एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे भूमि रेस्पो0 के नाम दर्ज होने के कारण ही विधि अनुसार रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द किया जाना उचित नही मानते हुए प्रार्थीगण/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विधि अनुरूप ही खारिज किया गया है। विवादित आराजीयात राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 के तहत कृषि से अकृषि दर्ज हो चुकी है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2074–77 मे भूमि नगर पालिका के नाम दर्ज रिकार्ड है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात ग्राम आलनपुर चौसाला सम्वत 2024–77 के खाता संख्या 543 मे दर्ज ख0न0 1318 रकबा 0.33 है0, 1339 रकबा 0.01 है0, 1340 रकबा 0.14 है0, 1342 रकबा 0.47 है0, 1360 रकबा 0.14 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.09 है0 शंकर पुत्र हजारी हिस्सा 1/2 तथा श्योजी पुत्र हजारी हिस्सा 1/2 जातियान माली सा.देह के नाम खातेदारी है। विवादित आराजीयात के वर्ष 2014 मे कृषि से कृषि मे संपरिवर्तन हो चुकी है। इस प्रकार जब भूमि कृषि से अकृषि मे संपरिवर्तन हो चुकी है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2074–77 मे नगर पालिका के नाम दर्ज है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष मे साबित नही होने के कारण अपीलांट को किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति होने की कोई संभावना नही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानो के तहत ही किया गया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 21/2021 निर्णय दिनांक 23.12.24 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:36:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner